Kalawati Ayurvedic Medical College and Research Center &   Hospital   OPD PATIENT 04 JUNE TO 30 JUNE 2021		
KAYACHIKITSA	722	-
PANCHKARMA	218	By the order of C.M.O Kasganj vide letter No. मु.चि.अ./कोविड/2021/ कैम्प -82
SHALYA	214	dated 19-04-2021, Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Center & Hospital, Gorha, Kasganj was acquired for Covid Positive Patient, hence no
SHALAKYA-NETRA	39	OPD, IPD done duing the period of 20 .04. 2021 to 03.06.2021. However in compliance of Letter No. 26-74/2021 (Common matter) dated 04.05.2021 online
SHALAKYA MUKH NASA DANT	145	consultation, Telemedicine and online OPD Services were provided by our Institute It is also stated that Ayush Kadha also distributed to the Isolated and
PRASUTI & STRI ROGA	208	common patients by us. As per direction received vide letter No. 205/कोविड/2020–21/सामान्य dated 03.06.2021 Lucknow U.P. OPD & IPD have been started since 04.06.2021. Online OPD and Telemedicine Treatment given to - From 01.06.2021 To 03.06.2021 - 33 patients
KAUMARBHRITTYA	202	
SWASTHA VRITTA & YOGA	63	
AATYAYIKA	179	
MONTH TOTAL	1990	-

ई-मेल

## प्रेषक.

# निदेशक,

आयुर्वदिक सेवाएं.

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

- 1. समस्त प्रधानाचार्य/अधीक्षक,
- राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,
  - उत्तर प्रदेश।

परिपत्र सँख्या : २०५ / कोविड / 2020-21 / सामान्य

#### दिनांक- 03 जून, 2021

विषयः आयुष विमाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं अस्पतालों में ओ०पी०डी० व अन्य सेवाय प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के परिपत्र संख्या-6/कोविड/2020-21 दिनांक-17.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करन का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण दर में वृद्धि होने के कारण प्रदेश में महामारी अधिनियम 1897 एव आपदा मोचन अधिनियम 2005 लागू होने के फलस्वरूप अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वाख्य उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-16.04.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो म सम्बद्ध अस्पतालों में ओ०पी०डी0 सेवाओं को अग्निम आदेशों तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अपर मुख्य नचिव उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1147/पांच-5- 2021 दिनांक-02.06 2021 (छायाप्रति सलग्न) द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता-हे कि आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में सम्बद्ध अस्पतालों में ओ०पी०डी0 सेवाओं एव आयु विकित्सा सेवाओं का दिनांक-04.06.2021 से पूर्ववत सुवारू रूप से संचालित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के जिलाधिकारी एव मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए. कोविड–19 के संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोविड डयूटी निर्धारित करें तथा शेष चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जनसामान्य को आयुर्वेद विधा से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रोo एसo एनo सिंह) १– निदेशक। जून, 2021

दिनांक-

### ं परिपत्र सँख्याः

### /कोविड / 2020-21 / सामान्य

प्रतिलिपि-निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष, उ०प्र० सरकार को इस आशय से प्रेषित कि वह मा० मंत्री जो को अवगत करान का कष्ट करें।
- अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन।

(प्रोo एसo एनo सिंह) निदेशक।